न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 71/2011
प्रविष्टि दिनांक 14.02.2011

राजबाला पत्नि धनपाल दहिया जाति जाट निवासी सेक्टर नम्बर 6 मकान नम्बर 897 बहादूर गढ जिला झज्जर हरियाणा

.... प्रार्थीया

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,
परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।
3–अधिशाषी अभियंता बिसलपुर परियोजना दायी मुख्य नहर देवली तहसील देवली
जिला टोंक राज0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री विजय पारीक,अभिभाषक प्रार्थीया
(2) श्री रामधन सैनी,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 26.12.2024

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम संथली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 752 में 300 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा बा–1 का निर्धारण किया गया है। उक्त आराजी खसरा नम्बर का अवार्ड बिसलपुर परियोजना देवली के नाम जारी किया गया है,जबकि उक्त आराजी की खातेदार प्रार्थीया है। अतः अवार्ड दिनांक 25.06.2010 को निरस्त कर,अवार्ड प्रार्थीया के नाम जारी कर, अवाप्त शुद्वा भूमि का सिचिंत भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1945/09 दिनांक 25.06.2010 तलब की गई। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु भूमि ख0नं0 752 मे से 300 वर्गमीटर वाके ग्राम संथली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप

से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बा–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थी सिचिंत भूमि की दर से मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है। अधिसूचना के समय भूमि की जो किस्म जमाबंदी मे अंकत थी,उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। बीसलपुर परियोजना बन जाने से बीसलपुर के लिये पूर्व मे अवाप्त भूमियो का अंकन अभी भी परियोजना के नाम राजस्व रिकार्ड मे ना होकर पूर्व खातेदारो के नाम ही जमाबंदी मे अंकित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के 3 डी नोटिफिकेशन अनुसार खातेदारान मोहन,तुलसी देवी के नाम अंकित है,परन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी का कब्जा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार परियोजना के पक्ष मे है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या–3 ने जवाब पेश कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीया व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस पर मनन किया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा दिनांक 11.12.2024 को प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 1945/2009 दिनांक 25.06.2010 से अप्रार्थी संख्या–3 के नाम भूमि ख0नं0 752 मे से 300 वर्गमीटर किस्म बा–1 का डी.एल.सी. दर से ग्राम संथली का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है।

अवार्ड पत्रावली मे संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वंत 2065 वाके ग्राम संथली तहसील देवली मे उक्त भूमि सिचिंत दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा सिचिंत भूमि का मुआवजा चाहा गया है,परन्तु इसकी तायद मे कोई साक्ष्य–सबूत यथा अन्य खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत नही की है। अवार्ड पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी वाके ग्राम संथली तहसील देवली सम्वत 2065–2068 मे आराजी खसरा नम्बर 752 रकबा 0.85 है. अंकित नोट अनुसार उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 611 दिनांक 06.01.2009 से जरिये विकय पत्र श्रीमति राजबाला पत्नि धनपाल दहिया जाति जाट सा. सेक्टर–6 मकान नं.897 बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा के नाम स्वीकार हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 752 मे से 300 वर्गमीटर भूमि का अवार्ड बिसलपुर परियोजना देवली के नाम दिनांक 25.06.2010 को जारी किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 752 मे से अवाप्त कि गई 300 वर्गमीटर भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 941 दिनांक 30.10.2012 वाके ग्राम संथली मे राजबाला पत्नि धनपाल दहिया कोम जाट के बजाये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच–12 के नाम स्वीकार हुआ है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात से जाहिर है कि दिनांक 25.06.2010 को आराजी खसरा नम्बर 752 वाके

ग्राम संथली तहसील देवली बिसलपुर परियोजना देवली के नाम ना होकर श्रीमति राजबाला पत्नि धनपाल दहिया जाति जाट सा. सेक्टर–6 मकान नं.897 बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा के नाम है। अवार्ड बिसलपुर परियोजना देवली के नाम किस प्रकार से जारी किया गया पत्रावली मे स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति मे कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 25.06.2010 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड संख्या 1945/2009 दिनांक 25.06.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर, दस्तावेजात तथा स्वंय मौके की जांच कर पुनः नियमानुसार अवार्ड पारित करे।

निर्णय आज दिनाक 26.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक